ANNEXURE F

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

I.S.O.-9001-2000 एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

पत्रांक 81 / मा0प्लान / जोन–1 / 2016 दिनांक 12/05/2016

सेवा में,

मैसर्स टेकमैन बिल्डवेल प्रा0 लि0,
डायरेक्टर– श्री असीम आनन्द अग्रवाल,
पता–जी0–1354,चितरंजन पार्क,
नई दिल्ली

महोदय/

आपके प्रार्थना पत्र दिनॉक–18/07/12 के सन्दर्भ में खसरा संख्या– 237मि0 व 238एम, ग्राम– मोरटा गाजियाबाद पर प्रस्तावित मानचित्र संख्या–195/जोन–1/ग्रुप हाउसिगं/12–13 की उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनॉक–03/01/15 को निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है–

1. यह मानचित्र स्वीकृति तिथि से केवल पॉच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय(जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0)किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसको शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
5. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
6. सडक सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री(बिल्डिग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध विकासकर्ता को स्वयं करना होगा।
7. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण स्वीकृत मानचित्रों, स्पेशिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
8. यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
9. सडक पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेगें।
10. सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
11. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्रों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
12. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत स्थल पर कम से कम 20 प्रतिशत भाग ग्रीनरी के रूप में रखना होगा तथा कम से कम प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ लगाना अनिवार्य होंगे।
13. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन निर्माण कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण–पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
14. 12.00 मीटर से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

15. संरचनासुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा तथा आप द्वारा संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
16. भवन के उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। एवं सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र से पूर्व रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण कराने होंगे।
17. निर्धारित 24.00 मीटर ज़ोनल प्लान मार्ग के विस्तार हेतु स्थल पर रोड के भाग को छोड़ते हुए निर्माण/विकास कार्य किया जायेगा। बाउण्ड्री–वाल का निर्माण रोड वाईडिनिगं की भूमि के वाद किया जायेगा।
18. 15 प्रतिशत पार्क जन सामान्य हेतु खुला रखना होगा।
19. भू–स्वामित्व की समस्त ज़िम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद/विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा तहसील एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि चिन्हित कराकर ही निर्माण–कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
20. उक्त क्षेत्र में 75 प्रतिशत बाहय विकास शुल्क जमा होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य कराये जायेंगे।
21. नाली, चकरोड, ग्राम समाज व निगम/सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य/विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
22. अधिष्ठान एवं उसमें कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।
23. निर्माणाधीन अवधि में निर्माण–स्थल–पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जाये, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिड़काव किया जाय एवं डस्ट सस्पेशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जाये।
24. उक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध एवं मानचित्र निर्गत उपशमन किश्तों की देयता का विवरण स्वीकृत मानचित्र के पार्श्व भाग पर चस्पा है, जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक– एक सैट स्वीकृत मानचित्र

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक
दिनॉक– 12/5/2016

पृ0संख्या– /मास्टर प्लान, जोन–1/16

प्रतिलिपि– प्रवर्तन खण्ड, जोन–1 को मानचित्र का एक सैट संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

CERTIFIED TRUE COPY

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक